

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999

(1999 का अधिनियम संख्यांक 44)

[30 दिसम्बर, 1999]

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 है।

(2) इसका विस्तार ¹**** संपूर्ण भारत पर है।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “स्वपरायणता” से विषम कौशल विकास की वह अवस्था अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के संप्रेषण और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है और जो आवृत्तिमूलक और कर्मकांडी व्यवहार से परिलक्षित होती है ;

(ख) “बोर्ड” से धारा 3 के अधीन गठित न्यासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) “प्रमस्तिष्क घात” से किसी व्यक्ति की अविकासशील अवस्थाओं का समूह अभिप्रेत है जो विकास की प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन या बाल अवधि में होने वाले मस्तिष्क आघात या क्षति के परिणामस्वरूप अप्रसामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति द्वारा अभिलक्षित होता है ;

(घ) “अध्यक्ष” से धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन नियुक्त न्यास का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) “मुख्य कार्यपालक अधिकारी” से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) “सदस्य” से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ;

(छ) “मानसिक मंदता” से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की दशा अभिप्रेत है जो विशेष रूप से बुद्धिमत्ता की अवसामान्यता से अभिलक्षित होती है ;

(ज) “बहु-निःशक्तता” से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (झ) में परिभाषित दो या अधिक निःशक्तताओं के संयोजन अभिप्रेत हैं ;

(झ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ञ) “निःशक्त व्यक्ति” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता या ऐसी अवस्थाओं में से किन्हीं दो या अधिक अवस्थाओं के संयोजन से संबंधित किसी भी अवस्था से ग्रस्त है और इसके अंतर्गत गंभीर बहु-निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति भी है ;

(ट) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ठ) “वृत्तिक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे क्षेत्र में विशेष विशेषज्ञता रखता है जो निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करता हो ;

¹ 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

(ड) “रजिस्ट्रीकृत संगठन” से धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, यथास्थिति, निःशक्त व्यक्तियों का संगम या निःशक्त व्यक्ति के माता-पिता का संगम या स्वयंसेवी संगठन अभिप्रेत है ;

(ढ) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है ;

(ण) “गंभीर बहु-निःशक्तता” से ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है जो एक या अधिक बहु-निःशक्तताओं का अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक है ;

(त) “न्यास” से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास

3. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास, आदि का गठन—(1) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास के नाम से एक निकाय का गठन किया जाएगा जो पूर्वोक्त नाम से ज्ञात राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उक्त निकाय का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उस नाम से वाद जाएगा और उस पद वाद लाया जाएगा ।

(2) न्यास के कार्यकलापों और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध बोर्ड में निहित होंगे जो उन सभी शक्तियों का प्रयोग और उन सभी कार्यों और बातों को कर सकेगा जो न्यास द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी या किए जा सकेंगे ।

(3) न्यास का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा और बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

(4) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :—

(क) एक अध्यक्ष जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिनके पास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता के क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव हो ;

(ख) नौ व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत संगठनों में से ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विहित की जाए, नियुक्त किए जाएंगे जिनमें स्वयंसेवी संगठनों, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के माता-पिताओं के संगम और निःशक्त व्यक्तियों के संगम में प्रत्येक से तीन-तीन सदस्य होंगे, सदस्य :

परन्तु इस खंड के अधीन आरंभिक नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशन द्वारा की जाएगी ;

(ग) आठ ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और जो उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल विकास; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; वित्त, श्रम, शिक्षा, शहरी कार्यकलाप तथा नियोजन तथा ग्रामीण नियोजन और गरीबी उन्मूलन मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करेंगे, पदेन सदस्य ;

(घ) परोपकारी क्रियाकलापों में लगे हुए व्यापार, वाणिज्य और उद्योग संगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति, सदस्य ;

(ङ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति का होगा, सदस्य-सचिव, पदेन ।

(5) बोर्ड स्वयं के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह वह न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, सहयुक्त कर सकेगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे बोर्ड के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए वह सदस्य नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस प्रकार सहयुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या आठ से अधिक नहीं होगी और इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति, जहां तक संभव हो, रजिस्ट्रीकृत संगठनों या वृत्तिकों में से होगा ।

4. बोर्ड के अध्यक्ष, और सदस्यों की पदावधि, और उसके अधिवेशन आदि—(1) अध्यक्ष या सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए ¹*** पद धारण करेगा :

¹ 2018 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।

परन्तु कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।

¹[(1क) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के कम से कम छह मास पूर्व, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया आरंभ करेगी।]

(2) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

(3) बोर्ड में हुई आकस्मिक रिक्ति, धारा 3 के उपबंधों के अनुसार भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति केवल उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया था, उस पद को धारण करता।

¹[परन्तु केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति की दशा में, लिखित आदेश द्वारा, समुचित स्तर के किसी अधिकारी को ऐसी रिक्ति के भरे जाने तक अध्यक्ष के कृत्यों का पालन करने का निदेश दे सकेगी।]

(4) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान करेगी कि वह व्यक्ति जिसका ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही रखेगा जिससे ऐसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(5) बोर्ड का कोई सदस्य उस अवधि के दौरान जिसमें ऐसा सदस्य पद धारण करता है, न्यास का हिताधिकारी नहीं होगा।

(6) बोर्ड का अधिवेशन तीन मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर होगा जो बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए और वह अधिवेशन में कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं।

(7) अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष या यदि किसी कारणवश वह बोर्ड के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई सदस्य करेगा।

(8) ऐसे सभी प्रश्न जो बोर्ड के किसी अधिवेशन के समक्ष आते हैं, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।

5. अध्यक्ष और सदस्यों का पदत्याग—(1) अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष अपने पद पर तक तक बना रहेगा ²[जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता।]

(2) कोई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

6. निरहताएं—कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होगा यदि वह,—

(क) विकृतचित्त का है या हो जाता है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष है या ठहराया गया है जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) दिवालिया है या किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है।

7. सदस्यों द्वारा पद रिक्त किया जाना—यदि कोई सदस्य,—

(क) धारा 6 में वर्णित निरहताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाता है; या

(ख) अनुपस्थित होने की अनुमति लिए बिना बोर्ड के लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है; या

(ग) धारा 5 के अधीन त्यागपत्र दे देता है,

तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

8. न्यास का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कर्मचारिवृंद—(1) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के निदेश के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जो अध्यक्ष द्वारा विहित किए जाएं या उसे प्रत्यायोजित किए जाएं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

(2) बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व आमोदन से ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जिन्हें वह न्यास के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझता है।

¹ 2018 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

² 2018 के अधिनियम सं० 35 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

(3) न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तों वे होंगी जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं।

9. बोर्ड में रिक्तियों के कारण कार्यों आदि का अविधिमान्य न होना—(1) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

अध्याय 3

न्यास के उद्देश्य

10. न्यास के उद्देश्य—न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे,—

(क) निःशक्त व्यक्तियों को यथासंभव स्वतंत्र और पूर्ण जीवन जीने के लिए और उस समुदाय के भीतर तथा उसके नजदीक रहने के लिए जिसके वे सदस्य हैं, समर्थ बनाना और सशक्त करना ;

(ख) निःशक्त व्यक्तियों को उनके अपने कुटुम्ब में रहने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना ;

(ग) निःशक्त व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रजिस्ट्रीकृत संगठनों को सहायता का विस्तार करना ;

(घ) उन निःशक्त व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करना जिनको परिवार का सहारा नहीं है ;

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों की उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु की दशा में देखभाल और संरक्षण के लिए उपायों को बढ़ाना ;

(च) उन निःशक्त व्यक्तियों के लिए जिनको ऐसे संरक्षण की आवश्यकता है, संरक्षक और न्यासी नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया तय करना ;

(छ) निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और उनको पूर्ण भागीदारी उपलब्ध कराने को सुकर बनाना; और

(ज) कोई अन्य कार्य करना जो पूर्वोक्त उद्देश्यों के आनुपंगिक हों।

अध्याय 4

बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य

11. बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य—(1) बोर्ड—

(क) केन्द्रीय सरकार से समग्र निधि के लिए एक समय में एक अरब रुपए का अभिदाय प्राप्त करेगा जिससे होने वाली आय का निःशक्त व्यक्तियों को यथोचित जीवन-स्तर उपलब्ध कराए जाने के लिए उपयोग किया जाएगा ;

(ख) साधारणतया निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए और विशिष्टतया न्यास के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी व्यक्ति से जंगम संपत्ति की वसीयत प्राप्त करेगा ;

परन्तु बोर्ड की ओर से यह बाध्यकर होगा कि वसीयत में नामित हिताधिकारी, यदि कोई है, के लिए यथोचित जीवन-स्तर की व्यवस्था करे और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वसीयत की गई है, वसीयत की गई संपत्ति का उपयोग करे :

परन्तु यह और कि बोर्ड किसी ऐसी बाध्यता के अधीन नहीं होगा कि वह वसीयत में हिताधिकारी के रूप में नामित निःशक्त व्यक्तियों के अनन्य फायदे के लिए वसीयत में उल्लिखित समस्त रकम का उपयोग करे ;

(ग) केन्द्रीय सरकार से उतनी राशि प्राप्त करेगा जितनी किसी अनुमोदित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवश्यक समझी जाए।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए “अनुमोदित कार्यक्रम” पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) कोई ऐसा कार्यक्रम, जो निःशक्त व्यक्तियों के लिए समुदाय में स्वतंत्र जीवनयापन को निम्नलिखित द्वारा संप्रवर्तित करता है,—

(i) समुदाय में प्रेरक वातावरण सृजित करना ;

(ii) निःशक्त व्यक्तियों के कुटुंब के सदस्यों को परामर्श और प्रशिक्षण देना ;

(iii) प्रौढ़ प्रशिक्षण इकाइयों, व्यष्टिक और सामूहिक गृहों को स्थापित करना ;

(ख) कोई ऐसा कार्यक्रम, जो निःशक्त व्यक्तियों के लिए विश्रान्ति देखरेख, पोषक कुटुंब देखरेख या दिन देखरेख सेवा को संप्रवर्तित करे ;

(ग) निःशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय छात्रावासों और आवासीय गृहों की स्थापना करना ;

(घ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए स्वयं सहायता समूहों का विकास करना ;

(ङ) संरक्षकता का अनुमोदन प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर की समिति स्थापित करना; और

(च) ऐसे अन्य कार्यक्रम जो न्यास के उद्देश्यों को संपरिवर्तित करें ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए निधियां निश्चित करते समय निःशक्त स्त्रियों या गम्भीर रूप से निःशक्त व्यक्तियों और निःशक्त वरिष्ठ नागरिकों को अधिमानता दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “गम्भीर रूप से निःशक्त व्यक्ति” पद का वही अर्थ है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 56 की उपधारा (4) में उसका है ;

(ख) “वरिष्ठ नागरिक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पैंसठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है ।

अध्याय 5

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

12. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया—(1) निःशक्त व्यक्तियों का कोई संगम या निःशक्त व्यक्तियों के माता-पिताओं का कोई संगम या कोई स्वयंसेवी संगठन, जिसका मुख्य उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करना है, रजिस्ट्रीकरण के लिए बोर्ड को आवेदन कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन ऐसे प्ररूप में और रीति से तथा ऐसे स्थान पर, जो बोर्ड विनियम द्वारा उपबंधित करे, किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी और उसके साथ ऐसे दस्तावेज और ऐसी फीस होंगी जो विनियमों में उपबंधित की जाए ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्राप्त होने पर, बोर्ड आवेदन की वास्तविकता और उसकी किन्हीं विशिष्टियों की बद्धता की बाबत ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर, बोर्ड या तो आवेदक का रजिस्ट्रीकरण स्वीकार करेगा या लेखबद्ध कारणों से ऐसे आवेदन को अस्वीकार करेगा :

परन्तु जहां आवेदक का रजिस्ट्रीकरण अस्वीकार कर दिया गया है वहां उक्त आवेदक, अपने पूर्व आवेदन में की त्रुटियों को, यदि कोई हो, दूर करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए पुनः आवेदन कर सकेगा ।

अध्याय 6

स्थानीय स्तर की समितियां

13. स्थानीय स्तर की समिति का गठन—(1) बोर्ड, ऐसे क्षेत्र के लिए, जो समय-समय पर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, स्थानीय स्तर की समिति गठित करेगा ।

(2) स्थानीय स्तर की समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क) संघ या राज्य की सिविल सेवा का कोई ऐसा अधिकारी, जो जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिले के जिला आयुक्त की पंक्ति से नीचे का नहीं है ;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; और

(ग) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 (1956 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में परिभाषित कोई निःशक्त व्यक्ति ।

(3) कोई स्थानीय स्तर की समिति अपने गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक या ऐसे समय तक, जब तक कि उसका बोर्ड द्वारा पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता, कार्य करती रहेगी ।

(4) स्थानीय स्तर की समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार या ऐसे अन्तराल पर, जो आवश्यक हो, अधिवेशन करेगी ।

14. संरक्षकता के लिए नियुक्ति—(1) किसी निःशक्त व्यक्ति के माता-पिता या उसका कोई नातेदार स्थानीय स्तर की समिति को अपनी रुचि के किसी व्यक्ति को निःशक्त व्यक्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत संगठन निःशक्त व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति के लिए विहित प्ररूप में आवेदन स्थानीय स्तर की समिति को कर सकेगा :

परन्तु स्थानीय स्तर की समिति द्वारा कोई ऐसा आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि निःशक्त व्यक्ति के संरक्षक की सहमति भी अभिप्राप्त नहीं कर ली जाती है।

(3) संरक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करते समय, स्थानीय स्तर की समिति निम्नलिखित पर विचार करेगी—

(क) निःशक्त व्यक्ति को संरक्षक की आवश्यकता है या नहीं ;

(ख) वे प्रयोजन, जिसके लिए निःशक्त व्यक्ति को संरक्षकता अपेक्षित है।

(4) स्थानीय स्तर की समिति, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्राप्त आवेदन को विनियमों द्वारा अवधारित रीति से ग्रहण करेगी, उन पर कार्रवाई करेगी और उनका विनिश्चय करेगी :

परन्तु संरक्षक की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय स्थानीय स्तर की समिति ऐसी बाध्यताओं का उपबंध भी कर सकेगी, जिन्हें संरक्षक द्वारा पूरा किया जाना है।

(5) स्थानीय स्तर की समिति अपने द्वारा प्राप्त आवेदनों की और उन पर पारित आदेशों की विशिष्टियां, ऐसे अन्तराल पर जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, बोर्ड को भेजेगी।

15. संरक्षक के कर्तव्य—इस अध्याय के अधीन निःशक्त व्यक्ति के संरक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, जहां कहीं अपेक्षित हो, ऐसे निःशक्त व्यक्ति और उसकी सम्पत्ति की देखरेख करेगा या निःशक्त व्यक्ति के भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी होगा।

16. संरक्षक द्वारा तालिका और वार्षिक लेखाओं का दिया जाना—(1) धारा 14 के अधीन संरक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपनी नियुक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, उस प्राधिकारी को जिसने उसे नियुक्त किया है, निःशक्त व्यक्ति की स्थावर संपत्ति और निःशक्त व्यक्ति की ओर से प्राप्त की गई सभी आस्तियों और अन्य जंगम संपत्ति की तालिका तथा उसके साथ ऐसे निःशक्त व्यक्ति को शोध्य सभी दावों और उस पर शोध्य सभी ऋणों और दायित्वों का कथन परिदत्त करेगा।

(2) प्रत्येक संरक्षक उक्त नियुक्ति प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तीन मास की अवधि के भीतर अपने प्रभार में की संपत्ति और आस्तियों, निःशक्त व्यक्तियों के मद्धे प्राप्त और संवितरित सभी धनराशियों तथा उसके पास बचे अतिशेष का लेखा देगा।

17. संरक्षक का हटाया जाना—(1) जब कभी किसी निःशक्त व्यक्ति के माता-पिता या नातेदार को या रजिस्ट्रीकृत संगठन को यह पता चलता है कि संरक्षक—

(क) निःशक्त व्यक्ति से दुर्व्यवहार कर रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है; या

(ख) संपत्ति का दुर्विनियोजन या उपेक्षा कर रहा है,

तो वह ऐसे संरक्षक को हटाए जाने के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार समिति को आवेदन कर सकेगा।

(2) समिति, ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि हटाए जाने के लिए आधार है और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसे संरक्षक को हटा सकेगी और उसके स्थान पर नए संरक्षक को नियुक्त कर सकेगी या यदि ऐसा कोई संरक्षक उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी अन्य व्यवस्थाएं कर सकेगी, जो उस निःशक्त व्यक्ति की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यक हों।

(3) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया कोई व्यक्ति निःशक्त व्यक्ति की सभी संपत्ति का भार और उसके द्वारा प्राप्त या संवितरित किए गए सभी धन का लेखा-जोखा नए संरक्षक को देने के लिए बाध्य होगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, “नातेदार” पद के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है, जो रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण के द्वारा निःशक्त व्यक्ति का संबंधी है।

अध्याय 7

जवाबदेही और मानीटर करना

18. जवाबदेही—(1) बोर्ड के कब्जे वाली पुस्तक और दस्तावेज किसी रजिस्ट्रीकृत संगठन द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत संगठन बोर्ड द्वारा रखी गई किसी पुस्तक या दस्तावेज की प्रति प्राप्त करने के लिए बोर्ड को लिखित अध्यापेक्षा प्रस्तुत कर सकता है।

(3) बोर्ड किसी रजिस्ट्रीकृत संगठन को किसी पुस्तक या दस्तावेज तक पहुंच अनुज्ञात करने के लिए ऐसे विनियम बनाएगा, जो वह आवश्यक समझे।

19. मानीटर करना—बोर्ड, अपने से वित्तीय सहायता चाहने वाले रजिस्ट्रीकृत संगठनों की वित्तपोषण पूर्व की प्रास्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया विनियमों द्वारा अवधारित करेगा और ऐसे विनियमों में ऐसे रजिस्ट्रीकृत संगठनों के, जो न्यास से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, क्रियाकलापों को मानीटर और मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों का भी उपबंध कर सकेगा।

20. वार्षिक साधारण अधिवेशन—(1) बोर्ड, प्रत्येक वर्ष रजिस्ट्रीकृत संगठनों का वार्षिक साधारण अधिवेशन करेगा और एक वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख और अगले अधिवेशन की तारीख के बीच छह मास से अधिक का समय नहीं होगा।

(2) वार्षिक साधारण अधिवेशन की सूचना, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान लेखाओं का विवरण और अपने क्रियाकलापों के अभिलेखों सहित बोर्ड द्वारा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत संगठन को, ऐसे समय पर जो विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए, भेजी जाएगी।

(3) ऐसे अधिवेशन की गणपूर्ति प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत संगठन के उतने व्यक्तियों से होगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए।

अध्याय 8

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

21. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान—केन्द्रीय सरकार इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् समग्र निधि के लिए एक अरब रुपए का अभिदाय एक ही बार में न्यास को करेगी जिससे होने वाली आय का उपयोग इस अधिनियम के अधीन न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा।

22. निधियां—(1) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहूनिःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त समस्त धन ;

(ख) न्यास द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृति, वसीयत या अंतरणों के रूप में प्राप्त समस्त धन ; और

(ग) न्यास द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन।

(2) निधि में जमा किए गए समस्त धन ऐसे बैंकों में जमा किए जाएंगे या ऐसी रीति से विनिहित किए जाएंगे जो बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, विनिश्चित करे।

(3) निधि का उपयोजन, न्यास के प्रशासनिक और अन्य खर्चों को, जिनके अंतर्गत बोर्ड द्वारा धारा 10 के अधीन अपने किन्हीं क्रियाकलापों के संबंध में या उससे संबंधित किसी बात के लिए अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उपगत खर्च भी हैं, पूरा करने के लिए किया जाएगा।

23. बजट—बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए न्यास की प्राक्कलित प्राप्तियों और उसके खर्च को दर्शित करते हुए बजट तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

24. लेखा और संपरीक्षा—(1) बोर्ड उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा न्यास के लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत आय और व्यय का लेखा भी है ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार विहित करे और ऐसे साधारण निदेश के अनुसार जो उस सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किया जाए, तैयार करेगा।

(2) न्यास के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएगी तथा ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत किया गया कोई व्यय बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा उसके द्वारा न्यास के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में हैं और विशिष्टतया लेखा बहियों, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों के पेश किए जाने की मांग करने तथा न्यास के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित न्यास के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

25. वार्षिक रिपोर्ट—बोर्ड, प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का सही और पूर्ण विवरण होगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी तथा वह सरकार, उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

26. आदेशों आदि, का अधिप्रमाणन—बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय और न्यास के नाम में जारी की गई लिखतें, अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अध्यक्ष या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी।

27. विवरणियां और जानकारी—बोर्ड, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य जानकारी देगा, जिनकी वह सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

28. निदेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में नीतिगत प्रश्नों के संबंध में ऐसे निर्देशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लिखित रूप में उसे दे :

परन्तु बोर्ड को, जहां तक व्यवहार्य हो, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) इस बारे में कि क्या कोई प्रश्न किसी नीति का है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

29. बोर्ड को अतिष्ठित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार के पास किसी रजिस्ट्रीकृत संगठन की शिकायत पर या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि बोर्ड उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या उसने उसके पालन में बार-बार व्यतिक्रम किया है तो केन्द्रीय सरकार बोर्ड को यह पूछते हुए सूचना जारी कर सकेगी कि उसे क्यों न अतिष्ठित कर दिया जाए :

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को अतिष्ठित करने वाला कोई आदेश तक तब नहीं किया जाएगा जब तक कि बोर्ड को उचित अवसर देने वाली सूचना लिखित रूप में न दे दी गई हो कि उसे क्यों न अतिष्ठित कर दिया जाए।

(2) केन्द्रीय सरकार, कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् और राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बोर्ड को छह मास से अनधिक अवधि के लिए अतिष्ठित कर सकेगी :

परन्तु अतिष्ठित किए जाने की अवधि के समाप्त हो जाने पर केन्द्रीय सरकार बोर्ड का धारा 3 के अनुसार पुनर्गठन कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर—

(क) बोर्ड के सभी सदस्य, ऐसा होते हुए भी कि अतिष्ठित की जाने की तारीख को उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, ऐसे सदस्य के रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन, न्यास द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या पालन किया जाए, अतिष्ठित की जाने की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और पालन किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार निदेश दे।

(4) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठित की जाने की अवधि की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार—

(क) अतिष्ठित की जाने की अवधि को उतनी और अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जितनी वह आवश्यक समझे जिससे कि अतिष्ठित की कुल अवधि छह मास से अधिक न हो; या

(ख) धारा 3 में उपबंधित रीति से बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी।

30. आय पर कर सके छूट—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या आय, लाभ या अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, न्यास व्युत्पन्न अपनी आय, लाभ या अभिलाभ की बाबत आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने का दायी नहीं होगा।

31. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के होते हुए या हो सकने वाली किसी हानि या नुकसान के लिए केन्द्रीय सरकार या न्यास या बोर्ड के किसी सदस्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या न्यास के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “सद्भावपूर्वक” पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में है।

32. न्यास के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना—न्यास के सभी सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

33. प्रत्यायोजन—बोर्ड, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा न्यास के अध्यक्ष या किसी सदस्य या किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन (धारा 35 के अधीन विनियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

34. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार रजिस्ट्रीकृत संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन, निर्वाचित किए जाएंगे ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें ;

(ग) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के अधिवेशनों में कारबार के संब्यवहार की प्रक्रिया के नियम ;

(घ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य ;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगठन द्वारा संरक्षकता के लिए आवेदन किया जा सकेगा ;

(च) वह प्रक्रिया जिसके अनुसार संरक्षक को धारा 17 के अधीन हटाया जा सकेगा ;

(छ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर न्यास का बजट धारा 23 के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण बनाए रखा जाएगा ;

(झ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 25 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और अग्रेषित की जाएगी ;

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

35. विनियम बनाने की शक्ति—(1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतया क्रियान्वित करने के लिए बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध हो सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह रीति और प्रयोजन, जिसके लिए कोई व्यक्ति धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन सहयुक्त किया जा सकेगा ;

(ख) वह समय और स्थान, जिस पर बोर्ड, धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन अधिवेशन करेगा ;

(ग) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन, न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ;

(घ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा और उस उपधारा के अधीन ऐसे आवेदन में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां ;

(ङ) वह रीति जिसमें, धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन, स्थानीय स्तर की समिति द्वारा, संरक्षकता के लिए आवेदन प्राप्त किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस पर विनिश्चय किया जाएगा ;

(च) आवेदनों की विशिष्टियां और धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन स्थानीय स्तर की समिति द्वारा उस पर पारित आदेश ;

(छ) रजिस्ट्रीकृत संगठनों की वित्त पोषणों से पूर्व की प्रास्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया और धारा 19 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत संगठनों के क्रियाकलापों की मानीटरी और मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना ; और

(ज) वह समय जिसके भीतर धारा 20 की उपधारा (2) और उपाधारा (3) के अधीन, वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए सूचना भेजी जाएगी और ऐसे अधिवेशन के लिए गणपूर्ति ;

(झ) कोई अन्य विषय जिसे विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो या किया जाए ।

36. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।